7.5.18

राजस्थान सरकार (प्रपत्र – 8)

उपखण्ड अधिकारी, रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

धिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प रोहल साहब पर

–: आदेश :–

रूस्ती प्रार्थना पत्र एवं पटवारी रोहल साहब पर व भू.अ.नि. टांटण की रिपोर्ट तथा खावाटी की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के रोहल तहसील **रामगढ़–शेखावाटी** व जिला **सीकर** की जमाबन्दी -77 में खाता संख्या 99(नया) 101 पुराना में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को द्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:–

ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज की जानी है।)
त	99(नया) 101(पुराना)	सोहन कंवर पत्नी स्व. भागीरथ सिंह हिस्सा 1/2 हैक्टर 0.205 जाति राजपूत	सोहन कंवर पत्नी स्व. गिरधारी सिंह हिस्सा 1/2 हैक्टर 0.205 जाति राजपूत दुरुस्त
आदि व अन्य	प्रविष्टि	यथावत	

( )

पीठससीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

उपखण्ड अधिकारी रामगढ़ (सीकर)
ग्राम पंचायत.....

ढ़–**शेखावाटी** को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना सोहन कंवर पत्नी स्व. गिरधारी सिंह जाति राजपूत नि. रोहल की सूचनार्थ

( )

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (सीकर)
पीठससीन अधिकारी
लोक अदालत
उपखण्ड अधिकारी रामगढ़–शेखावाटी (सीकर)

लोक अदालत कोर्ट 2016

7/5/18

02